



न्यायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

वाद सं०- 01 27 / 2019

धारा-107 द०प्र०सं०

कार्यपालक सरकार बनाम रंजित मोदक उर्फ पिंडू मोदक वगैरह

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
	<p>अभिलेख सं०-एम <u>27</u> / 2019 में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी <u>बुण्डू</u> के अप्राथमिक सं०- <u>04/19</u> दिनांक <u>28-03-19</u> के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>लोक सभा चुनाव 2019 के अवसर पर मतदान नही करने के लिए स्थानीय लोगों को गडकारा है</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा अरांतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मै बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उरी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>03/04/19</u> को उपस्थापित करें। लेखापित एवं रांशोधित।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p>	

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
16-08-19	विपनी अनुसूचित कार्यपालक दफ्तर अन्य कार्य के व्यस्त दिनांक 30-08-19 को रहे	
30-08-19	<p>आमलेख उपस्थापित / विपनी अनुसूचित लोकसभा भाग 2019 शक्तिपूर्ण रूप से सम्पन्न हो गया है आत. विपनी क्रमिक 02 जगमोहन महता के विरुद्ध निर्गत वॉलेट को रिफिल करते हुए वॉलेट वॉलेट के आमलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> 30/8/19</p>	